शुभशक्ति योजना

राजस्थान सरकार
भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल, राजस्थान

क्रमांकः एफ.18(1)भनिकम/बैठक/2009/पार्ट–II/93 जयपुर, दिनांकः 05.01.2016

–: अधिसूचना :–

भवन एवं अन्य **संनिर्माण** श्रमिक (नियोजन व सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा–22 की उपधारा (1) के खण्ड (एच) में किये गये प्रावधान तथा अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये राजस्थान भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक (नियोजन व सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 2009 के नियम–57 एवं 58 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल, राजस्थान की बैठक दिनांक 08.12.2015 में यथा अनुमोदित हितलाभ/प्रसुविधाओं से संबंधित प्रक्रियात्मक तथा अवशिष्ट मामलों को अभिकथित करने के लिए निम्न **शुभशक्ति योजना**, राज्य सरकार की स्वीकृति के उपरान्त, एतद्द्वारा अधिसूचित की जाती हैः–

1. संक्षिप्त नाम, उद्देश्य, विस्तार, परिधि और लागू होना –

1.1 यह योजना "**शुभशक्ति योजना**" कहलाएगी। यह योजना भवन और अन्य संनिर्माण श्रमिक (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम 1996 की धारा 22(1)(एच) सपठित राजस्थान नियम, 2009 के नियम 57 तथा 58 के अंतर्गत प्रवर्तित की जाती है।

1.2 इस योजना का उद्देश्य हिताधिकारियों की वयस्क और अविवाहिता पुत्रियों अथवा अविवाहिता महिला हिताधिकारी को सशक्त, आत्मनिर्भर तथा उद्यमी बनाने के उद्देश्य से प्रोत्साहित करने हेतु सहायता उपलब्ध कराना है।

1.3 यह योजना सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में प्रभावशील होगी।

1.4 यह योजना 01 जनवरी, 2016 से लागू होगी।

2 परिभाषाएँ –

इस योजना में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–

2.1 "अधिनियम" का आशय भवन और अन्य संनिर्माण श्रमिक (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 (1996 का 27) से अभिप्रेत है;

2.2 "नियम, 2009 का आशय राजस्थान भवन और संनिर्माण श्रमिक (नियोजन तथा सेवा शर्तों का नियमन) नियम,2009 से अभिप्रेत है;

2.3 "मण्डल" का आशय धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन गठित भवन और अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल, राजस्थान से अभिप्रेत है;

2.4 "अध्यक्ष" का आशय अधिनियम की धारा 18 के अन्तर्गत नियुक्त मण्डल अध्यक्ष से अभिप्रेत है;

2.5 "सचिव" का आशय अधिनियम की धारा 19 के अधीन नियुक्त मण्डल के सचिव से अभिप्रेत है;

2.6 "परिभाषित न किये गये शब्दों का निर्वचन" उन शब्दों या पदों के संबंध में जो इस योजना में परिभाषित नहीं किए गए हैं, किन्तु अधिनियम/राज्य नियम 2009 में परिभाषित या प्रयुक्त हैं, वही अर्थ होगा जो अधिनियम/राज्य नियम 2009 में परिभाषित है।

3 योजना में देय हितलाभ –

इस योजना के अन्तर्गत पात्र महिला हिताधिकारियों तथा हिताधिकारियों की वयस्क व अविवाहिता पुत्री को 55,000 रूपये (शब्देन पचपन हजार रूपये) प्रोत्साहन/सहायता राशि देय होगी।

4 पात्रता एवं शर्तें –

4.1 लड़की के पिता या माता अथवा दोनों, कम से कम एक वर्ष से मण्डल में पंजीकृत हिताधिकारी/निर्माण श्रमिक हों;

4.2 हिताधिकारी की अधिकतम् दो पुत्रियों अथवा महिला हिताधिकारी को और उसकी एक पुत्री को प्रोत्साहन राशि देय होगी;

4.3 महिला हिताधिकारी अविवाहिता हो अथवा हिताधिकारी पुत्री की आयु न्यूनतम् 18 वर्ष पूर्ण हो गई हो तथा वह अविवाहिता हो;

4.4 हिताधिकारी की पुत्री/महिला हिताधिकारी कम से कम 8वीं कक्षा उर्त्तीण हो;

4.5 हिताधिकारी की पुत्री/महिला हिताधिकारी के नाम से बचत बैंक खाता हो;

4.6 हिताधिकारी का स्वयं का आवास होने की स्थिति में, आवास में शौचालय हो;

4.7 आवेदन की तिथि से पूर्व के एक वर्ष की अवधि में हिताधिकारी कम से कम 90 दिन निर्माण श्रमिक के रूप में कार्यरत रहा हो;

4.8 प्रोत्साहन राशि हिताधिकारी के निर्माण श्रमिक होने के भौतिक सत्यापन की शर्त पर ही देय होगी। निर्माण श्रमिक होने का सत्यापन तहसीलदार, विकास अधिकारी, सहायक व उच्च अभियन्ता, सरकारी माध्यमिक विद्यालय का प्रधानाध्यापक अथवा अन्य राजपत्रित अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा;

4.9 प्रोत्साहन राशि का उपयोग महिला हिताधिकारी/पुत्री के विवेक के अनुसार आगे शिक्षा या व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने, स्वयं का व्यवसाय प्रारम्भ करने, कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त करने आदि में तथा स्वयं के विवाह हेतु उपयोग में लिया जाएगा (स्वयं का व्यवसाय प्रारम्भ करने या कौशल विकास करने या व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए लड़की को उचित परामर्श प्रदान किया जाएगा);

4.10 योजना का हितलाभ प्राप्त करने के लिए हिताधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन, पंजीकृत हिताधिकारी के रूप में एक वर्ष पूरा होने के पश्चात्, प्रस्तुत किया जाएगा। परन्तु यह आवश्यक होगा कि योजना का आवेदन प्रस्तुत करने के समय हिताधिकारी का परिचय–पत्र वैध/एक्टिव हो;

4.11 जिन लड़कियों के लिए हिताधिकारियों को पूर्व में मण्डल की विवाह सहायता योजना के अन्तर्गत सहायता प्राप्त हो चुकी है, उन्हें इस योजना में सहायता देय नहीं होगी।

5. आवेदन की समय–सीमा तथा स्वीकृति की प्रक्रिया –

5.1 हिताधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र (प्रपत्र–1) में आवेदन पत्र भरकर स्थानीय श्रम कार्यालय अथवा मण्डल सचिव द्वारा अधिकृत अन्य अधिकारी/अन्य विभाग के अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

5.2 आवेदन पत्र ऑनलाइन भी प्रस्तुत किया जा सकेगा।

5.3 आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की समयावधि– आवेदन पत्र हिताधिकारी द्वारा पंजीयन की तिथि से एक वर्ष की अवधि पूरी होने के पश्चात् तथा अविवाहिता पुत्री की आयु 18 वर्ष पूर्ण होने की तिथि से 6 माह की अवधि में अथवा योजना लागू होने की तिथि से 6 माह की अवधि में, जो भी लागू हो, प्रस्तुत किया जा सकेगा।

5.4 उपरोक्तानुसार आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत आवेदन पत्रों के परीक्षण उपरांत स्थानीय श्रम कार्यालय के वरिष्ठतम अधिकारी अथवा मण्डल सचिव द्वारा अधिकृत अन्य अधिकारी/अन्य विभाग के अधिकारी द्वारा स्वीकृति जारी कर प्रोत्साहन/सहायता राशि महिला हिताधिकारी अथवा हिताधिकारी की अविवाहिता पुत्री के बैंक खाते में इलैक्ट्रोनिक माध्यम (आरटीजीएस/एनईएफटी) से अथवा अकाउण्ट पेयी चैक के माध्यम से जमा कर भुगतान की जायेगी।

6. अन्य विनियम –

6.1 प्रोत्साहन राशि का उपयोग महिला हिताधिकारी/हिताधिकारी की पुत्री के विवेकानुसार आगे शिक्षा अथवा व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने, स्वयं का व्यवसाय या सूक्ष्म उद्योग प्रारम्भ करने, कौश विकास करने आदि में तथा स्वयं के विवाह हेतु किया जा सकेगा।

6.2 स्वयं का सूक्ष्म उद्योग या व्यवसाय प्रारम्भ करने में परामर्श हेतु अनुदान राशि के साथ एक मार्गदर्शिका पुस्तिका दी जाएगी, जिसमें लघु पूंजी से उद्यम द्वारा सफलता के प्रेरक उदाहरण तथा कौशल विकास की विभिन्न संभावनाओं की जानकारी होगी।

7. आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज

निर्धारित प्रपत्र में पूरे भरे हुए व सभी पूर्ति किये हुए आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न किया जाना आवश्यक होगा:–

7.1 हिताधिकारी के पंजीयन परिचय–पत्र की प्रति।

7.2 महिला हिताधिकारी अथवा हिताधिकारी की पुत्री, जो भी लागू हो, के बैंक खाते की पासबुक के प्रथम पृष्ठ (जिसमें हिताधिकारी का नाम, बैंक खाता संख्या व आईएफएससी कोड अंकित हो) की प्रति।

7.3 हिताधिकारी के आधार कार्ड तथा भामाशाह कार्ड की प्रति। (वैकल्पिक)

7.4 हिताधिकारी की पुत्री की आयु 18 वर्ष पूरी होने के प्रमाण पत्र की प्रति।

7.5 महिला हिताधिकारी अथवा हिताधिकारी की पुत्री के कक्षा 8 उत्तीर्ण करने की अंक तालिका, जो राजकीय अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय द्वारा जारी की गई हो, की प्रति।

विशेष– सक्षम अधिकारी/कार्यालय द्वारा अपूर्ण आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे तथा आवेदक को उसी समय वांछित पूर्ति के लिए लौटा दिये जायेंगे।

8. योजना का प्रारंभ –

इस योजना के लागू होने की तिथि, अर्थात् 01 जनवरी, 2016 से मण्डल की "हिताधिकारी की पुत्री/महिला हिताधिकारी के स्वयं के विवाह हेतु सहायता योजना" प्रभावी नहीं रहेगी।

परन्तु "हिताधिकारी की पुत्री/महिला हिताधिकारी के स्वयं के विवाह हेतु सहायता योजना" के अन्तर्गत लम्बित व प्राप्त होने वाले आवेदनों का निस्तारण "हिताधिकारी की पुत्री/महिला हिताधिकारी के स्वयं के विवाह हेतु सहायता योजना" के प्रावधानानुसार किया जायेगा।

9. विसंगति का निराकरण –

योजना में उल्लेखित शर्तों/नियमों के अतिरिक्त यदि अन्य कोई विसंगति उत्पन्न होती है तो उस स्थिति में मण्डल सचिव का निर्णय अन्तिम माना जावेगा।

(रजत कुमार मिश्र)
सचिव, भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक
कल्याण मण्डल एवं श्रम आयुक्त, राजस्थान

क्रमांक: एफ.18(1)भनिकम/बैठक/2009/पार्ट–II/ 94–108 जयपुर, दिनांक: 16.01.2016

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), श्रम, नियोजन, कौशल, उद्यमिता एवं तकनीकी प्रशिक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. श्री/श्रीमति/सुश्री ....., (मण्डल सदस्य)।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, श्रम एवं नियोजन, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. निजी सचिव, श्रम आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
6. संयुक्त/उप/सहायक/श्रम कल्याण अधिकारी, ... (समस्त)।

(विष्णु कुमार शर्मा)
संयुक्त सचिव, मण्डल

भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल, राजस्थान

प्रपत्र–1 (शुभशक्ति)

(शुभशक्ति योजना हेतु आवदेन पत्र)

(प्रविष्टियां आवेदक द्वारा साफ–साफ स्पष्ट अक्षरों में भरी जावें)

हिताधिकारी की पासपोट साईज की फोटो चिपकाएं

1. हिताधिकारी का नाम: श्री/श्रीमती/कुमारी .....
2. जन्मतिथि व आयु: (दिन/माह/वर्ष) .....आयु (वर्षों में) .....
3. पता : (i) मकान संख्या ..... (ii) मोहल्ला/गाँव ..... (iii) ग्राम पंचायत (ग्रामीण क्षेत्र)/वार्ड संख्या (शहरी क्षेत्र) ..... (iv) ब्लॉक/शहर ..... (v) जिला ....
4. पिता/पति का नाम (पूरा नाम लिखें) .....
5. हिताधिकारी से सम्बन्धित अन्य जानकारी–
   5.1 मोबाईल नम्बर .....
   5.2 आधार कार्ड संख्या (वैकल्पिक) (प्रति संलग्न करें) .....
   5.3 भामाशाह कार्ड संख्या (वैकल्पिक) (प्रति संलग्न करें) .....
   5.4 हिताधिकारी पंजीयन क्रमांक व पंजीयन तिथि .....
   5.5 अंतिम बार अंशदान जमा करने की तिथि .....
   5.6 पंजीयन अधिकारी का पदनाम व स्थान
   (श्रम विभाग/बीडीओ/सानिवि, पीएचईडी अथवा जल संसाधन विभाग का एईएन आदि) .....
   5.7 यदि स्वयं का आवास है तो उसमें शौचालय है अथवा नहीं : हां/नहीं ।
6. यदि पति–पत्नी दोनों हिताधिकारी हैं, तो पत्नि/पति के सम्बन्ध में जानकारी–
   6.1 हिताधिकारी (पत्नि/पति) का नाम .....
   6.2 पंजीयन क्रमांक व पंजीयन तिथि .....
7. **हिताधिकारी के नियोजन संबंधी विवरण**
   7.1 नियोजक/ठेकेदार का नाम तथा पूर्ण पता, जहां हिताधिकारी नियोजित है:
   7.2 हिताधिकारी द्वारा किया जाने वाला कार्य : .....
   (बेलदार, मिस्त्री, बिजली का कार्य, नल का कार्य आदि)
   7.3 वर्तमान नियोजक के पास निर्माण कार्य करने की अवधि अर्थात् कब से कब तक कार्यरत रहा है : .....
8. **पुत्री/महिला हिताधिकारी, जिसके लिए सहायता चाही गई है, का विवरण –**
   8.1 पुत्री/महिला हिताधिकारी का नाम .....
   8.2 पिता का नाम .....
   8.3 जन्मतिथि व आयु: (दिन/माह/वर्ष) .....आयु (वर्षों में) .....
   8.4 शिक्षा का स्तर (8वीं/10वीं/12वीं/डिप्लोमा/स्नातक/स्नातकोत्तर उतीर्ण)
   5.7 पुत्री/महिला हिताधिकारी के बैंक खाते का विवरण–
   (i) बैंक का नाम ..... (ii) बैंक की शाखा का नाम .....
   (iii) खाता संख्या ..... (iv) बैंक का आईएफएससी कोड .....

शुभशक्ति योजना हेतु हिताधिकारी की घोषणा

मैं .....हिताधिकारी का नाम) पुत्र/पुत्री..... (पिता/पति का नाम) निवासी ..... (निवास स्थान का पूरा पता) मोबाईल/लैण्ड लाइन नं. ..... यह घोषणा करता हूँ कि मैं एक निर्माण श्रमिक के रूप में पिछले ..... वर्षो से ..... (बेलदार, मिस्त्री, या अन्य कार्य का उल्लेख करें) के रूप में कार्य कर रहा हूँ। वर्तमान में/अन्तिम बार मैने निम्न संस्थान में/नियोजक के यहां निर्माण श्रमिक के रूप में कार्य कर रहा हूँ/किया था :–

नियोजक/ठेकेदार का नाम ....., नियोजक के संस्थान का नाम ....., कार्यस्थल का पता ...., नियोजक/ठेकेदार का मोबाईल नं. ....., कार्य अवधि (कब से कब तक कार्य किया) ....., क्या कार्य किया (मजदूरी, बेलदारी, मिस्त्री, बिजली का कार्य, पेटिंग कार्य आदि) .....

मैंने निर्माण श्रमिक होने के कारण हिताधिकारी के रूप में भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल, राजस्थान में अपना पंजीयन ..... (पंजीयन अधिकारी के कार्यालय का नाम) दिनांक ..... को कराया है तथा मेरा पंजीयन क्रमांकः ..... है। मेरे द्वारा आदिनांक अंशदान राशि जमा करायी गयी है (प्रमाण स्वरूप पंजीयन परिचय पत्र पुस्तिका की प्रति संलग्न करें)

कुमारी (पुत्री का नाम) ..... मेरी पुत्री है, जिसकी जन्म तिथि (दिन/माह/वर्ष) .... है तथा वह अविवाहित है अथवा मैं. ..... (महिला हिताधिकारी का नाम) पुत्री .... (पिता का नाम) अविवाहित हूँ।

मैं यह शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा दिया गया उपरोक्त विवरण पूर्णतया सत्य है तथा मैने कोई तथ्य नहीं छिपाया है। यदि मेरे द्वारा प्रस्तुत विवरण असत्य या मिथ्या पाया जाता हे तो मैं शुभशक्ति योजना में प्राप्त होने वाली समस्त राशि लौटाने के लिए बाध्य रहूंगा/रहूंगी और मेरे विरूद्ध उचित कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी।

हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी

(नाम हस्ताक्षरकर्ता)

सत्यापनकर्ता अधिकारी का प्रमाण–पत्र

मैं ..... पदनाम ..... कार्यालय का नाम ..... यह सत्यापित करता हूँ कि मैं श्री/श्रीमति/कुमारी ..... (हिताधिकारी का नाम) को जानता हूँ। वह सामान्य तौर पर गत ..... वर्षों से निर्माण श्रमिक के रूप में कार्य कर रहा है/रही है तथा वह अविवाहित है/जिसकी पुत्री कुमारी ..... (पुत्री का नाम) अविवाहित है।

दिनाक .....

(हस्ताक्षर राजपत्रित अधिकारी)
नाम अधिकारी–
पदनाम व कार्यालय–
(मुहर लगाएं)
मोबाईल नम्बर (अनिवार्य)–
स्वयं के फोटो पहचान पत्र की प्रति संलग्न करें (अनिवार्य)–

आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज की चैक लिस्ट –

1 हिताधिकारी के पंजीयन परिचय–पत्र की प्रति। : हां/नहीं

2 महिला हिताधिकारी अथवा हिताधिकारी की पुत्री, जो भी लागू हो, के बैंक खाते की पासबुक के प्रथम पृष्ठ (जिसमें हिताधिकारी का नाम, बैंक खाता संख्या व आईएफएससी कोड अंकित हो) की प्रति। हां/नहीं

3 हिताधिकारी के आधार कार्ड तथा भामाशाह कार्ड की प्रति। (वैकल्पिक) : हां/नहीं

4 हिताधिकारी की पुत्री की आयु 18 वर्ष पूरी होने के प्रमाण पत्र की प्रति। हां/नहीं

5 महिला हिताधिकारी अथवा हिताधिकारी की पुत्री के कक्षा 8 उत्तीर्ण करने की अंक तालिका, जो राजकीय अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय द्वारा जारी की गई हो, की प्रति। हां/नहीं

6 सत्यापनकर्ता अधिकारी के प्रमाण–पत्र सहित योजना हेतु हिताधिकारी की घोषणा : हां/नहीं

राजस्थान सरकार

भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल, राजस्थान

क्रमांक:–एफ.18(1)भनिकम/बैठक/2009/पार्ट–II/ 19875 दिनांक: 9/9/2016

अधिसूचना

भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल, राजस्थान की अधिसूचना क्रमांक एफ–18(1) भनिकम/बैठक/2009/पार्ट–II/93 दिनांक 05.01.2016 द्वारा अधिसूचित **"शुभशक्ति योजना"** के विभिन्न प्रावधानों पर मण्डल की बैठक दिनांक 27.07.2016 में विचार किया गया।

योजना के बिन्दु संख्या 4.8 में हिताधिकारी की घोषणा का सत्यापन किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा किए जाने का प्रावधान किया गया है। मण्डल द्वारा इस बिन्दु पर विचार किया गया कि निर्माण श्रमिक को नहीं जानने के कारण कई बार राजपत्रित अधिकारी सत्यापन करने से मना कर देते हैं, जिसके कारण हिताधिकारी को आवेदन करने में कठिनाई होती है।

इसके समाधान हेतु मण्डल द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि योजना के अन्तर्गत हिताधिकारी द्वारा की जाने वाली घोषणा को सम्बन्धित ग्राम सेवक/पंचायत सचिव द्वारा प्रमाणित करने के आधार पर विकास अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जा सकेगा और इसी प्रकार सम्बन्धित पटवारी द्वारा प्रमाणित करने के आधार पर तहसीलदार द्वारा सत्यापित किया जा सकेगा। ग्राम सेवक/पंचायत सचिव अथवा पटवारी हिताधिकारी की घोषणा को प्रमाणित कर अपने हस्ताक्षर के साथ अपने पदनाम की मुहर भी लगाएंगे। हिताधिकारी की घोषणा के सत्यापन के संबंध में योजना में किए गये अन्य प्रावधान यथावत रहेंगे।

इसके अतिरिक्त हिताधिकारियों की बेटियों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने के हित में योजना के अन्तर्गत आवेदन करने के लिए रखी गयी पंजीयन तिथि से कम से कम एक वर्ष की अवधि को घटाकर पंजीयन तिथि से 6 माह करने का निर्णय लिया गया।

तदनुसार योजना के प्रावधानों में निम्न संशोधन किए जाते है:–

1. बिन्दु 4– "पात्रता एवं शर्तें" में निम्न संशोधन किये जाते है–
   A. उप बिन्दु संख्या 4.1 में "कम से कम एक वर्ष से" के स्थान पर " कम से कम 6 माह से" प्रतिस्थापित किया जाता है।
   B. उप बिन्दु संख्या 4.8 के अन्त में निम्न परन्तुक जोड़ा जाता है–

   "परन्तु हिताधिकारी के घोषणा पत्र को सम्बन्धित ग्राम के पंचायत सचिव/ग्राम सेवक द्वारा प्रमाणित करने के आधार पर सम्बन्धित विकास अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जा सकेगा। इसी प्रकार क्षेत्र के पटवारी द्वारा प्रमाणित करने के आधार पर तहसीलदार द्वारा सत्यापित किया जा सकेगा। ग्राम सेवक/पंचायत सचिव अथवा पटवारी हिताधिकारी की घोषणा को प्रमाणित कर अपने हस्ताक्षर के साथ पदनाम की मुहर की लगाएंगे। हिताधिकारी की घोषणा के सत्यापन सम्बन्धी योजना के अन्य प्रावधान यथावत रहेंगे।"
2. **बिन्दु संख्या 5 "आवेदन की समय–सीमा तथा स्वीकृति की प्रक्रिया" के उप बिन्दु संख्या 5.3 में मण्डल सचिव के परिपत्र समसंख्यक क्रमांक 4592 दिनांक 22.03.2016 को अनुमोदित करते हुए विद्यमान प्रावधान के स्थान पर निम्न प्रतिस्थापित किया जाता है–**

   "योजना के अन्तर्गत आवेदन पत्र लड़की के बालिग होने अर्थात् 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने के पश्चात् और उसका विवाह होने से पूर्व कभी भी प्रस्तुत किया जा सकता है।"

(रजत कुमार मिश्रा)
श्रम आयुक्त एवं
मण्डल सचिव

भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल, राजस्थान

राजस्थान सरकार
श्रम विभाग

अत्यावश्यक

क्रमांकः–एफ 18( )भनिकम/शुभ./ 4592

दिनांकः 22/3/2016.

परिपत्र

विषयः–शुभशक्ति योजना के संबंध में मार्गदर्शन बाबत।

01 जानवरी, 2016 से मण्डल की "हिताधिकारी की पुत्री/महिला हिताधिकारी के स्वयं के विवाह हेतु सहायता योजना" के स्थान पर "शुभशक्ति योजना" लागू की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत हिताधिकारियों की वयस्क/बालिग पुत्री को उद्यमिता से सशक्त व उद्यमी बनाने में प्रोत्साहन हेतु, 55000/– प्रोत्साहन राशि दिए जाने का प्रावधान किया गया है। प्रोत्साहन राशि का उपयोग लड़की के विवेकानुसार आगे शिक्षा या व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने, स्वयं का व्यवसाय या शूक्ष्म उद्योग प्रारम्भ करने, कौशल विकास करने तथा स्वयं के विवाह हेतु किया जा सकता है।

2. योजना के संबंध में कतिपय अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा चाहे गये मार्गदर्शन के क्रम में निम्नानुसार स्पष्ट किया जाता है–

2.1 योजना के बिन्दु संख्या 4.9 में प्रोत्साहन राशि का उपयोग लड़की के विवेकानुसार किए जा सकने का प्रावधान किया गया है। प्रोत्साहन राशि का कितना भाग किस कार्य में उपयोग लिया जाता है, इसकी सन्तुष्टि या पुष्टि विभागीय अधिकारी/कार्यालय द्वारा किया जाना वांछित नहीं है और योजना में इस बारे में प्रावधान नहीं किया गया है।

2.2 योजना के बिन्दु संख्या 4.6 में हिताधिकारी का स्वयं का घर होने की स्थिति में शौचालय होने की शर्त रखी गयी है, परन्तु इसके लिए मकान के दस्तावेज की प्रति लेने या शौचालय होने का सत्यापन करने का प्रावधान नहीं किया गया है अपितु हिताधिकारी द्वारा आवेदन पत्र में की गयी घोषणा ही इस संबंध में पर्याप्त समझी जाएगी। इसी प्रकार किराए का घर होने के बारे में दस्तावेज लिया जाना वांछित नहीं है।

2.3 योजना के बिन्दु संख्या 5.3 में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की समयावधि लड़की की आयु 18 वर्ष पूरा होने से 6 माह अथवा योजना की तिथि से 6 माह की अवधि में, जो भी लागू हो, निश्चित की गयी है। इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदन लड़की के बालिग होने के बाद परन्तु विवाह होने से पूर्व कभी भी प्रस्तुत किया जा सकता है। योजना में इस आशय का स्पष्टीकरण जोड़ा जा रहा है।

3 अतः शुभशक्ति योजना के अन्तर्गत आवेदनों का निस्तारण उपरोक्त मार्गदर्शन के अनुसार, योजना की शर्तो व मापदण्ड की अनुपालना सुनिश्चित करते हुए, किया जाए। यह ध्यान रखें कि योजनाओं के हितलाभ दिए जाने को भामाशाह प्लेटफार्म से जोड़े जाने के संबंध में परिपत्र क्रमांक एफ. 18(152)भनिकम/2015/668 दिनांक 19.01.2016 द्वारा दिए गये निर्देशों की पालना करते हुए, सभी योजनाओं के आवेदनों का निस्तारण/स्वीकृति LDMS के माध्यम से, ऑनलाइन ही की जाए।

(रजत कुमार मिश्र)
श्रम आयुक्त एवं
मण्डल सचिव

भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल, राजस्थान

राजस्थान सरकार
श्रम विभाग

अत्यावश्यक

क्रमांक–एफ.18(1)भनिकम/बै./विवाह सहा./2012/4593-4629 जयपुर, दिनांक: 22/3/2016

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. संयुक्त/उप/सहायक श्रम आयुक्त/श्रम कल्याण अधिकारी.....(समस्त)।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), श्रम, नियोजन, कौशल, उद्यमिता तथा कारखाना एवं बायलर्स विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, श्रम, नियोजन, कौशल, उद्यमिता तथा तकनीकी शिक्षा विभाग।
4. निजी सचिव, श्रम आयुक्त राजस्थान।

22/3

सहायक श्रम आयुक्त
मण्डल

राजस्थान सरकार

भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल राज.

क्रमांक:–एफ.18(45)/भनिकम/भौ.सत्या./ 4084 जयपुर, दिनांक :29/9/2017.

कार्यालय आदेश

विषय :– शुभ शक्ति, आवास एवं विवाह सहायता के आवेदनो में वित्तीय स्वीकृति जारी करने से पूर्व भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करने के क्रम में।

महोदय,

मण्डल की "शुभ शक्ति योजना" तथा "निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना" को लेकर विगत दिनो में मौका निरीक्षण, औचक निरीक्षण, जनसुनवाई तथा उच्च अधिकारियो के जिलो में भ्रमण के दौरान ऐसे व्यक्तियो को भी अनुतोष मिलना जानकारी में आया है, जो नियमानुसार पात्र नहीं थे। निरीक्षण में गैर निर्माण श्रमिको द्वारा अथवा शुभ शक्ति योजना में हिताधिकारी की विवाहित पुत्री द्वारा भी अनुचित लाभ लेना अवगत हुआ है।

उक्त परिपेक्ष्य में निर्देशित किया जाता है कि **शुभ शक्ति योजना, निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना तथा लम्बित विवाह सहायता योजना के समस्त लम्बित आवेदनो में वित्तीय स्वीकृति जारी करने से पूर्व, संबंधित हिताधिकारी की पात्रता का अनिवार्य रूप से भौतिक सत्यापन सुनिश्चित किया जावे।** इस संबंध में यह भी सुनिश्चित करे कि :–

1. उक्त व्यवस्था राजपत्रित अधिकारियो द्वारा सत्यापित प्रकरणो पर भी लागू होगी।
2. प्रकरणो का सत्यापन जिले में कार्यरत अधिकारी/निरीक्षक/जिला प्रबन्धनकर्मी/ग्राम सेवक अथवा अन्य निर्देशित द्वारा सम्पादित किया जायेगा। जिन जिलो में श्रम विभाग के स्तर पर उक्त योजनाओं के अन्तर्गत लम्बित प्रकरणो की संख्या अधिक है, के संबंध में संभागीय संयुक्त श्रम आयुक्त से समन्वय किया जाकर वांछित संख्या में निरीक्षक/जिला प्रबन्धनकर्मी कार्य विशेष हेतु लगाये जा सकेंगे।
3. भौतिक सत्यापन संलग्न निर्धारित प्रपत्र–ए में यथाशीघ्र सम्पादित किया जायेगा, जिससे प्रकरणो के निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब ना हो।
4. ऑनलाईन निस्तारण में एल.डी.एम.एस. पोर्टल पर आवेदन स्वीकृति से पूर्व भौतिक सत्यापन का चैक लगाया गया है। **आवेदन स्वीकृति से पूर्व भौतिक सत्यापन रिपोर्ट को सिस्टम पर अपलोड करना आवश्यक होगा।** पोर्टल पर भौतिक सत्यापनकर्ता का नाम, आधार नं0 एवं मोबाईल नं0 भी अंकित किया जाना आवश्यक है। सत्यापन से संबंधित यूजर मेन्युल प्रपत्र–बी संलग्न है।

यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होगें।

संलग्न–उपरोक्तनुसार

भवदीय

(टी. रविकान्त)
श्रम आयुक्त एवं
सचिव, मण्डल

क्रमांकः–एफ.18(45)/भनिकम/भौ.सत्या./ 4085-399. जयपुर, दिनांक : 29/9/2017

प्रतिलिपि:– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. विशिष्ट सहायक, कार्यालय मंत्री, श्रम एवं नियोजन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, कार्यालय शासन सचिव, श्रम नियोजन विभाग, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, ...से अनुरोध है कि वे योजनाओं के लंबित आवेदनों के निस्तारण एवं भौतिक सत्यापन को गति प्रदान करने के उद्देश्य से श्रम विभाग के अधिकारी एवं विकास अधिकारियों द्वारा किये गये कार्यों की नियमित समीक्षा करें एवं वांछित दिशा–निर्देश प्रदान करें।
4. संयुक्त/उप/सहायक श्रम आयुक्त, श्रम कल्याण अधिकारी.....(समस्त)।
5. विकास अधिकारी ..... (समस्त)।
6. ए.सी.पी., मुख्यालय, श्रम विभाग, जयपुर।
7. रक्षा पत्रावली।

श्रम आयुक्त, राजस्थान

प्रपत्र–ए

भौतिक सत्यापन पत्र

1. हिताधिकारी का नाम : ..... पंजीयन संख्या : ..... भामाशाह कार्ड संख्या : .....
   आधार कार्ड संख्या : .....
2. पति/पत्नि का नाम : ..... पंजीयन संख्या : ..... भामाशाह कार्ड संख्या : .....
   आधार कार्ड संख्या : .....
3. अविवाहित पुत्री का नाम : ..... आधार कार्ड संख्या : ..... शिक्षा स्तर : .....
4. **हिताधिकारी के कार्य/व्यवसाय एवं अन्य जानकारी देने वाले दो व्यक्तियों का विवरण :–**

1. व्यक्ति का नाम, पता एवं मोबाईल नं0	2. व्यक्ति का नाम, पता एवं मोबाईल नं0
मैं हिताधिकारी श्री/श्रीमती ..... को पिछले ..... वर्ष से जानता हूँ, सामान्यतः ..... का कार्य करते हैं अथवा ये मेरे संस्थान/घर पर ..... का कार्य किया है/कर रहे हैं। ये निर्माण श्रमिक हैं/नही हैं। हस्ताक्षर	मैं हिताधिकारी श्री/श्रीमती ..... को पिछले ..... वर्ष से जानता हूँ, सामान्यतः ..... का कार्य करते हैं अथवा ये मेरे संस्थान/घर पर ..... का कार्य किया है/कर रहे हैं। ये निर्माण श्रमिक हैं/नही हैं। हस्ताक्षर

5. हिताधिकारी ..... योजना में उल्लेखित शर्तों की पात्रता रखता है/नही रखता है।
6. पात्रता नही रखने का कारण .....

नाम व पता
(भौतिक सत्यापनकर्ता)

आधार नं0
(भौतिक सत्यापनकर्ता)

मो0नं0
(भौतिक सत्यापनकर्ता)

हस्ताक्षर
(भौतिक सत्यापनकर्ता)

राजस्थान सरकार

भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल राज.

क्रमांकः–एफ.18(1)/भनिकम/बैठक/2009/पार्ट–II/4871 जयपुर, दिनांक : 18/10/2017

अधिसूचना

भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल, राजस्थान की अधिसूचना क्रमांक एफ.18(1)/भनिकम/बैठक/2009/पार्ट–II/93 दिनांक 05.01.2016 द्वारा अधिसूचित **"शुभशक्ति योजना"** के अन्तर्गत बिन्दु संख्या 4.8 में हिताधिकारी की घोषणा का सत्यापन राजपत्रित अधिकारी द्वारा किये जाने का प्रावधान किया गया है। इसके अन्तर्गत सत्यापनकर्ता अधिकारी के फोटो पहचान पत्र की प्रति संलग्न किया जाना भी अनिवार्य किया गया है।

श्रमिक को नहीं जानने के कारण बहुधा राजपत्रित अधिकारी सत्यापन करने एवं फोटो आई.डी. देने से मना कर देते हैं, जिसके कारण हिताधिकारियों को सहायता प्राप्त करने में अनावश्यक विलम्ब होता है।

इसके समाधान हेतु योजना के विद्यमान प्रावधानों में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:–

1. बिन्दु संख्या 4.8 में विद्यमान प्रावधान के स्थान पर निम्न प्रावधान प्रतिस्थापित किया जाता है:– **"प्रोत्साहन राशि हिताधिकारी के निर्माण श्रमिक होने भौतिक सत्यापन की शर्त पर देय होगी। पात्रता का सत्यापन मण्डल सचिव द्वारा निर्देशित अधिकारियों/निरीक्षकों/ कर्मचारियों द्वारा निर्धारित प्रपत्र में किया जावेगा"**

2. बिन्दु संख्या 5.1 में विद्यमान प्रावधान के स्थान पर निम्न प्रावधान प्रतिस्थापित किया जाता है:– **"हिताधिकारी द्वारा विभाग के पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करना होगा। अधिकृत स्वीकृतकर्ता अधिकारी को आवेदन स्वीकृति से पूर्व भौतिक सत्यापन रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड करना आवश्यक होगा।"**

3. बिन्दु संख्या 5.2 में किये गये विद्यमान प्रावधान को **"विलोपित"** किया जाता है।

(टी. रविकान्त)
श्रम आयुक्त एवं
सचिव, मण्डल

क्रमांकः–एफ.18(1)/भनिकम/बैठक/2009/पार्ट–II/4872-77 जयपुर, दिनांक : 18/10/2017

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, राजस्थान, जयपुर को राजस्थान राज्य पत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, श्रम एवं नियोजन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, श्रम एवं नियोजन, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. ....., सदस्य, राजस्थान भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल।
5. संयुक्त/उप/सहायक/श्रम कल्याण अधिकारी.....
6. ए.सी.पी. मुख्यालय, श्रम विभाग, राजस्थान।

अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं
संयुक्त सचिव, मण्डल

DPA

राजस्थान सरकार

श्रम विभाग

भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल, राजस्थान

क्रमांकः एफ.18(1)श्रम/भनिकम/बैठक/2018 14387 जयपुर, दिनांकः 3/5/2018

—: अधिसूचना :—

राजस्थान भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक (नियोजन व सेवा शर्तों का विनियमन) नियम, 2009 के नियम–57 एवं 58 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल, राजस्थान की समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक एफ.18(1)श्रम/भनिकम/बैठक/पार्ट–II/93 दिनांक 05.01.2016 द्वारा शुभ शक्ति योजना अधिसूचित की गई थी।

हिताधिकारियो की बेटियों को आगे बढाने के लिए, प्रोत्साहन प्रदान करने के हित में योजना के अन्तर्गत आवेदन करने के लिए मूलतः रखी गई शर्त "पंजीयन तिथि से कम से कम एक वर्ष" की अवधि को घटाकर 6 माह करने का निर्णय में 24वीं बैठक में लिया गया था तथा इस आशय की मण्डल द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ. 18(1)भनिकम/बैठक/2009/पार्ट–III/12875 दिनांक 09.09.2016 जारी की गई थी।

"शुभशक्ति योजना" के बिन्दु संख्या 4.1 पर मण्डल की दिनांक 02.04.2018 को सम्पन 27वीं बैठक में पुर्नविचार किया गया। सर्वसम्मति से लिए गए निर्णय के क्रम में योजना के बिन्दु संख्या 4.1 में पुनः निम्न संशोधन किया जाता है :—

उप बिन्दु संख्या 4.1 में "कम से कम 6 माह से" के स्थान पर "कम से कम 3 माह से" प्रतिस्थापित किया जाता है।

उक्त संशोधन भूतलक्षी प्रभाव से होंगे।

(टी.रविकान्त)
श्रम आयुक्त एवं सचिव,
भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल

क्रमांकः एफ.18(1)श्रम/भनिकम/बैठक/2018 14368-75 जयपुर, दिनांकः 3/5/2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, राजस्थान, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, श्रम एवं नियोजन विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. श्री/श्रीमति/सुश्री...(मण्डल सदस्य)
4. निजी सचिव, शासन सचिव, श्रम एवं नियोजन, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. निजी सचिव, श्रम आयुक्त, राजस्थान जयपुर।
6. संयुक्त/उप/सहायक श्रम आयुक्त, ... (समस्त)।
7. श्रम कल्याण अधिकारी, ... (समस्त)।
8. ACP मुख्यालय को योजना की प्रति व योजना का आवेदन LDMS पर तथा विभाग की वेबसाइट पर डलवाने हेतु प्रेषित है।

अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं
संयुक्त सचिव, मण्डल

राजस्थान सरकार
कार्यालय श्रम आयुक्त, राजस्थान, जयपुर
www.labour.rajasthan.gov.in http://ldms.rajasthan.gov.in

क्रमांकः–एफ.18(45)/भ.नि.क.म./15593-925 जयपुर, दिनांक : 11.06.201

कार्यालय आदेश

विषयः– शुभशक्ति के आवेदनो में त्वरित भौतिक सत्यापन हेतु नई पद्धति के संबंध में दिशानिर्देश।

मण्डल के समसंख्यक कार्यालय आदेश क्रमांक 4084 दिनांक 29.09.2017 द्वारा शुभशक्ति, सुलभ्य आवास एवं विवाह सहायता के आवेदनो में वित्तीय स्वीकृति जारी करने से पूर्व भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करने के विषय में दिशा–निर्देश दिये गये थे। भौतिक सत्यापन के क्रियान्वयन के संबंध में विभिन्न जिला कार्यालयो द्वारा कठिनाईयों से अवगत कराया गया है, जिनमें श्रमिको का दूरस्थ स्थानो पर आवास होना, वाहन सुविधा उपलब्ध न होना तथा निर्माण श्रमिको का सत्यापन के दौरान आवास पर उपलब्ध न होना एवं श्रमिको द्वारा सत्यापनकर्ता के द्वारा अनुचित मांग का आरोप लगाना आदि प्रमुख है। मण्डल की शुभशक्ति योजना में बड़ी संख्या में जिला कार्यालयो में आवेदन लंबित होने की स्थिति के समाधान हेतु भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया में प्रायोगिक तौर पर बदलाव करने का निर्णय लिया गया है। नई प्रक्रिया में भौतिक सत्यापन निम्न प्रकार किया जावेगा :–

1. एल.डी.एम.एस. पोर्टल पर हिताधिकारी द्वारा शुभशक्ति योजना का आवेदन प्रस्तुत होने पर संबंधित अधिकारी/निरीक्षक द्वारा आवेदन की जांच की जावेगी। आवेदन में कमी पाये जाने पर सत्यापन/क्लेरिफेकेशन/निरस्तीकरण की कार्यवाही की जावेगी।
2. स्वीकृति योग्य आवेदनो को पेंडिंग वेरिफिकेशन की सूची में डाला जावेगा। साथ ही हिताधिकारी द्वारा पूर्व में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत लिये गये लाभ की जानकारी भी सुनिश्चित की जावेगी।
3. सत्यापन की सूची में डाले गये प्रकरणो के निस्तारण हेतु पंजीकृत निर्माण श्रमिक एवं उसकी पुत्री अथवा महिला निर्माण श्रमिक जिसके संबंध में शुभ शक्ति योजना के अन्तर्गत आवेदन विचाराधीन है, को नियत तिथि पर जिले के श्रम कार्यालय में मूल दस्तावेजात के साथ उपस्थित होने के विषय में सूचित किया जावेगा।
4. श्रमिक के कार्यालय में उपस्थित होने की अग्रिम सूचना जिला श्रम कार्यालय से श्रमिक के मोबाईल पर दी जावेगी साथ ही मोबाईल पर निम्न आशय का एस.एम.एस. भी प्रेषित किया जायेगा।

"हिताधिकारी अपनी अविवाहिता पुत्री सहित मूल पंजीयन प्रमाण–पत्र, भामाशाह तथा आधार कार्ड, नियोजक का प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, पुत्री की शैक्षणिक योग्यता एवं जन्म तिथि प्रमाण पत्र

दूरभाष : 0141– 2450781 टेलीफेक्स 0141–2450782 ईमेल : lab-comm-rj@nic.in
श्रम भवन, शांतिनगर, हसनपुरा, एन.बी.सी. के सामने, खातीपुरा रोड, जयपुर–302006

Scanned by CamScanner

आदि लेकर स्वयं सत्यापन हेतु पंजीकृत जिले के श्रम कार्यालय में दिनांक ..... को उपस्थित होवें। आपके आवेदन का निस्तारण दस्तावेजात के सत्यापन उपरान्त किया जावेगा।"

उक्त एस.एम.एस. वरियता क्रम में (फीफो) होगें।

5. जिन श्रमिको को एस.एम.एस. भेजा गया है वे पोर्टल पर **"विजिट बेनीफिसियरी वेरिफिकेशन"** की सूची में प्रदर्शित होगें।

6. हिताधिकारी के भौतिक सत्यापन हेतु प्रत्येक जिला कार्यालय में श्रम निरीक्षक के नेतृत्व में दो या दो से अधिक (आवश्यकतानुसार) टीमो का गठन जिला अधिकारी द्वारा किया जावेगा। अधिकारी यह भी सुनिश्चित करेगें कि, दल निरीक्षक/कर्मचारी के अवकाश होने अथवा राजकीय कार्य से अन्यत्र भेजे जाने की स्थिति में सत्यापन हेतु वैकल्पिक व्यवस्था कर ली गई है।

7. सत्यापनकर्ता दल द्वारा निर्धारित चैक लिस्ट के अनुसार सत्यापन किया जावेगा। साथ ही श्रमिक के **"निर्माण श्रमिक"** होने के विषय में भी वांछित जानकारी प्राप्त की जावेगी।

8. सत्यापन कार्यवाही निष्पक्ष होने की पुष्टि जिला अधिकारी द्वारा की जावेगी। सत्यापन के दौरान आवेदनकर्ता एवं उसकी पुत्री के अतिरिक्त अन्य किसी बाहरी व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जावेगा।

9. श्रमिक के दस्तावेज नियमानुसार पाये जाने की स्थिति में श्रमिक को इस आशय की रसीद भी दी जावेगी, कि उसका आवेदन स्वीकृत कर लिया गया है, उसके बैंक खाते में 55,000/– रू. की सहायता राशि हस्तान्तरित कर दी जावेगी एवं युक्तियुक्त समय में राशि बचत खाते में हस्तांतरित न होने की दशा में श्रमिक सम्बन्धित कार्यालय से सम्पर्क करे।

10. स्वीकृति योग्य समस्त प्रकरण जिनमें भौतिक सत्यापन की कार्यवाही कर ली गई है, के विषय में जिला अधिकारी द्वारा अविलम्ब सहायता राशि के भुगतान हेतु संबंधित बैंक को सूचित किया जावेगा।

11. सत्यापन कार्यवाही के दौरान अत्यन्त संदिग्ध प्रतीत होने वाले आवेदनो के विषय में स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा विवेक से हिताधिकारी के कार्यस्थल/आवास पर जाकर सत्यापन की कार्यवाही की जा सकेगी।

12. जो श्रमिक सत्यापन हेतु नियत तिथि पर स्वयं अथवा पुत्री सहित उपस्थित नहीं होता है उन्हें पुनः टेलीफोन द्वारा सूचित किया जावेगा एवं वे श्रमिक जो अपूर्ण दस्तावेजो के साथ कार्यालय में उपस्थित होता है उन्हें पुनः कार्यालय में दस्तावेज सहित उपस्थित होने के संबंध में बताया जायेगा तथा उसका प्रकरण भी निस्तारण होने तक **"विजिट बेनीफिसियरी वेरिफिकेशन"** की सूची में प्रदर्शित होगा। इसके साथ–साथ अधिकारी को पोर्टल पर "Absent" तथा "Document not complete" में से एक विकल्प चुनना होगा।

14. हिताधिकारी द्वारा प्रस्तुत आवेदन फर्जी पाये जाने अथवा जाली दस्तावेजों के आधार पर आवेदन प्रस्तुत होने की दशा में हिताधिकारी के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराने की कार्यवाही की जावे।

15. नियत तिथि के पश्चात् कार्यालय में उपस्थित होने वाले श्रमिको का भौतिक सत्यापन भी उपस्थित होने की दिनांक को ही किया जावेगा।

16. उपरोक्त प्रक्रिया विकास अधिकारी के स्तर पर लम्बित एवं विचाराधीन प्रकरणों पर भी लागू होगी।

संलग्नः–यूजर· मैन्यूअल

भवदीय
11/6/2018
(गिरिराज सिंह कुशवाहा)
श्रम आयुक्त एवं
सचिव मण्डल

क्रमांकः–एफ.18(45)/भ.नि.क.म./15593-925 जयपुर, दिनांक : 11.06.2018

प्रतिलिपि :–

1. विशिष्ट सहायक, कार्यालय मंत्री, श्रम एवं नियोजन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त/उप/सहायक श्रम आयुक्त, श्रम कल्याण अधिकारी.....(समस्त)।
3. विकास अधिकारी .....।
4. ए.सी.पी., मुख्यालय, श्रम विभाग, जयपुर।
5. टीम इंचार्ज, एल.डी.एम.एस. को निर्देशित कर लेख है कि वे शुभशक्ति के प्रकरणो में भौतिक सत्यापन के संबंध में दिये गये दिशा–निर्देशो की अनुपालना में पोर्टल पर वांछित सुधार किया जाना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त सत्यापन से पूर्व शुभशक्ति योजना के आवेदनो को सीधे अधिकारी की आई.डी. पर भेजे जाने की अपेक्षा जिले के श्रम निरीक्षको को ऑन लाईन अग्रेषित/हस्तान्तरित करने एवं भौतिक सत्यापन रिपोर्ट के अपलोड उपरान्त अधिकारी को अग्रेषित करने संबंधी समानान्तर कार्यवाही भी प्रारम्भ करे जिससे यह प्रक्रिया भविष्य में अमल में लाई जा सके।
6. रक्षा पत्रावली।

अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं संयुक्त
सचिव, मण्डल

दूरभाष : 0141– 2450781 टेलीफेक्स 0141–2450782 ईमेल : lab-comm-rj@nic.in
श्रम भवन, शांतिनगर, हसनपुरा, एन.बी.सी. के सामने, खातीपुरा रोड, जयपुर–302006

Scanned by CamScanner

भौतिक सत्यापन हेतु चैक लिस्ट

1. मूल पंजीयन डायरी/सिस्टम जनित बेनीफिसयरी रजिस्ट्रेशन है/नही है।
2. हिताधिकारी का अंशदान बोर्ड में जमा है/नहीं है।
3. मूल भामाशाह कार्ड के अनुसार आवेदन पत्र में की गई प्रविष्टी सही है/नही है।
4. मूल आधार कार्ड के अनुसार आवेदन पत्र में की गई प्रविष्टी सही है/नही है।
5. मूल नियोजन प्रमाण पत्र से नियमानुसार निर्माण श्रमिक के रूप में नियोजित रहा होना प्रमाणित है/नहीं है।
6. योजना के प्रावधानुसार एवं मूल प्रमाण पत्र/अंक तालिका के अनुसार महिला हिताधिकारी/पुत्री की शैक्षणिक योग्यता सही है/नही है।
7. महिला हिताधिकारी/पुत्री की आयु मूल प्रमाण पत्र के अनुसार 18 वर्ष से अधिक हैं/नही है।
8. प्रस्तुत बैंक पासबुक के आधार पर बैंक खाते का मिलान कर लिया गया है जो सही है/नही है।

उपरोक्त सूचना मेरी व्यक्तिगत जानकारी एवं सामान्य ज्ञान के अनुसार सही है। सूचना गलत/अवैध पाये जाने पर मेरी स्वयं की जिम्मेवारी लेती/लेता हूँ।

हस्ताक्षर हिताधिकारी
नाम व पता

हस्ताक्षर महिला हिताधिकारी/हिताधिकारी की पुत्री
नाम

भौतिक सत्यापनकर्ता की टिप्पणी:–

.....

.....

.....

भौतिक सत्यापन की तिथि .....

हस्ताक्षर
सत्यापनकर्ता
(नाम व पद)

Scanned by CamScanner